(217)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर लिंक कोर्ट रीवा म.प्र.

1169

रामनिवास तनय स्वर्गीय श्री बद्रीप्रसाद द्विवेदी उम्र 43 वर्ष पेशा कृषि निवासी, ग्राम सभापुर तहसील बिरसिंहपुर जिला-सतना म.प्र. ----------निगराकार/आपत्तिकर्ता

R-1354-I/12

बनाम

कमलेश तनय गोपाल केशरवानी निवासी ग्राम बिरसिंहपुर वार्ड क्र. 4 तहसील बिरसिंहपुर जिला-सतना म.प्र. ------------------------गैरनिगराकार/आवेदक

अधिवक्ता श्री अजय पाण्डेय द्वारा प्रस्तुत रीवा दिनांक 16.03.2012

16-03-2012
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर
(सर्किट कोर्ट) रीवा

निगरानी बिरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार वृत्त जैतवारा तहसील बिरसिंहपुर जिला-सतना म.प्र. के रा.प्र.क्र. 2/ए 12/ 2011-2012 मे आदेश दिनांक 23.2.12

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा. संहिता 1959

मान्यवर,

उपरोक्त सन्दर्भ मे निगराकार /आपत्तिकर्ता ~~निम्न~~ निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर निवेदन करता है :-

निगरानी के तथ्य संक्षेप मे

1. यहकि गैर निगराकार द्वारा मौजा सभापुर की आ.नं. 29/3/क/1क/1क 24 रकवा 0.53 1/2 ए. के सीमांकन किये जाने हेतु आधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदन पत्र पेश किया और आधीनस्थ न्यायालय ने आवेदित आराजी का सीमांकन किया जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु राजस्व निरीक्षक वृत्त जैतवारा एवं पटवारी हल्का सभापुर को निर्देशित किया था । //2//

रामनिवास द्विवेदी

217

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–1354-I/12 जिला–सतना

रामनिवास द्विवेदी/ कमलेश केशरवानी

(1)	(2)
19-2-19	1. आवेदक की ओर से श्री अजय पाण्डेय अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी नायब तहसीलदार, वृत्त जैतवारा, तहसील बिरसिंहपुर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 21/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 23.02.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 15.03.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य